बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE)
शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt. of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना – 800001
Chanakya National Law University Campus, Nayay Nagar, Mithapur, Patna – 800001
Website : www.bboseonline.bih.nic.in Phone No.: 0612-2385490, 2385491, 0612-2385492,
Email ID : info@bbose.org
बिहार सरकार

पत्रांकः– 476 पटना, दिनांकः– 15 /07/ 2026

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण
एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के माध्यमिक (10वीं) एवं उच्च माध्यमिक (12वीं), जून–2025 एवं दिसम्बर–2025 परीक्षा सत्र में सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्रादि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के माध्यमिक (10वीं) एवं उच्च माध्यमिक (12वीं), जून–2025 एवं दिसम्बर–2025 परीक्षा सत्र में सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्रादि, टी०आर० (अध्ययन केन्द्र के लिए) एवं अध्ययन केन्द्रवार सूची आपके कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से हस्तगत कराई जा रही है।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः

1. **अध्ययन केन्द्रों को ससमय वितरण** : आपके जिले के अंतर्गत आने वाले सभी अध्ययन केंद्रों (Study Centres) के समन्वयक/उप समन्वयक/प्राधिकृत प्रतिनिधि को सूचित करते हुए, उपरोक्त प्रमाण पत्र/अभिलेख हस्तगत होने के दो कार्य दिवस के अंदर संबंधित अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध करा दें तथा सभी समन्वयक को यह निदेश देते हुए यह सुनिश्चित करायें की संबंधित शिक्षार्थी को उनका प्रमाण पत्र दो दिनों के अंदर हस्तगत हो जाए।
2. **प्राप्ति पत्रक का संधारण** : विभिन्न अध्ययन केंद्रों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए गए प्रमाण–पत्रादि की विधिवत प्राप्ति रसीद (प्राप्ति पत्रक) अनिवार्य रूप से ली जाए।
3. **बोर्ड कार्यालय को प्रतिवेदन** : सभी संबंधित अध्ययन केंद्रों को प्रमाण–पत्रादि प्राप्त कराए गए की प्राप्ति पत्रक (Receipts) को समेकित करते हुए उसकी एक प्रति बोर्ड कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रमाण–पत्रादि के वितरण की स्थिति स्पष्ट हो सके।

4. **प्रमाण–पत्रादि का मिलान :** वितरण के समय प्रमाण–पत्रादि का मिलान अवश्य कर लिया जाए। यदि किसी अध्ययन केन्द्र को भूलवश उसी जिला के किसी अन्य अध्ययन केन्द्र के परीक्षार्थी का प्रमाण–पत्रादि प्राप्त होता है, तो संबंधित अध्ययन केन्द्र बिना किसी विलंब के उसे अग्रसारण पत्र के साथ सीधे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को वापस करना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय उसे सही अध्ययन केन्द्र भेज देंगें।

अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि किसी भी शिक्षार्थी को अपना प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब या कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विश्वासभाजन

Vijay 15/7/26

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण
एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।

15/7/26

ज्ञापांक– 476 पटना, दिनांक– 15/07/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० विभाग, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आदेशार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी अध्ययन केन्द्रों (Study Centres) के समन्वयक (Co-ordinator) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15/7/26

Vijay 15/7/26

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण
एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।